

उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि०
(उत्तराखण्ड शुगर्स)
निकट रेलवे क्रॉसिंग, बट्टीपुर रोड, जोगीवाला, देहरादून
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रकाशित
मैनुअल्स की सूची

उत्तराखण्ड शुगर्स

मैनुअल सं० -01

संगठन की विशिष्टियां एवं कर्तव्य

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० लखनऊ से उत्तराखण्ड की सीमा में अवस्थित सहकारी क्षेत्र की चार चीनी मिलें बाजपुर, सितारगंज, नादेही एवं गदरपुर तथा उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० लखनऊ द्वारा संचालित किच्छा एवं डोईवाला चीनी मिलें वर्ष 2001 तथा 2002 में उत्तराखण्ड राज्य को अन्तरित की गयी।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं० 787 /XIV-2/2015/9(22)/2014 दिनांक 29.09.2015 के द्वारा गदरपुर चीनी मिल तथा शासन के आदेश सं० 1227 /XIV-2/2017/9(15)/2017 दिनांक 05.12.2017 के द्वारा चीनी मिल सितारगंज को बन्द कर दिया गया। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में सहकारी क्षेत्र की दो चीनी मिलें बाजपुर एवं नादेही तथा निगम की दो चीनी मिलें किच्छा एवं डोईवाला संचालित की जा रही है।

मुख्य उद्देश्य:- उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० का मुख्य उद्देश्य सहकारी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिलों में को-आर्डिनिसन प्रभावी नियंत्रण, उन्हें सहायता प्रदान करना , शासन स्तर से समय-समय पर गन्ना मूल्य भुगतान व मिल मरम्मत आदि हेतु कम ब्याज पर वापसी ऋण उपलब्ध कराना, मिलों में विस्तारीकरण कार्यवाही में मदद करना, मिलों का सुदृढीकरण कराया जाना तथा आवश्यकता अनुरूप नई चीनी मिलों की स्थापना आदि है।

सब्सिडर्स उद्देश्य:- उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० के उद्देश्य सहकारी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिलों को तकनीकी राय प्रदान करना, केन्द्रीय क्रय समिति के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता की न्यूनतम मूल्य पर सामग्री की बल्क में खरीदारी, चीनी व इसके सह-उत्पाद शीरा, बैगास आदि की विक्रय व्यवस्था, कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण अनुशासनात्मक कार्यवाहियों पर नियंत्रण विधिक राय व आर्थिक नियम आदि कृत्य एवं कर्तव्य है।

(आर०के०सेठ)
लोक सूचना अधिकारी

मैनुअल सं० -०२

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

1. **सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग:-** उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० में पदेन प्रशासक नामित होने के कारण सम्पूर्ण कार्य-कलापों पर नियंत्रण, केन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों के नियुक्ति/स्थानान्तरण /पनिसिंग आथरटी।
2. **अपर सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग :-** उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० में पदेन प्रबन्ध निदेशक नामित होने के कारण चीनी मिलों के कार्य -कलापो, मेन्टिनेन्स, आय-व्यय आदि पर नियंत्रण।
3. **महाप्रबन्धक:-** उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० के भुगतानों का आहरण एवं वितरण संयुक्त रूप से किये जाने, सामग्री क्रय एवं विक्रय की कार्यवाही किया जाना तथा उच्च स्तर पर प्रकरणों को अग्रसारित करना आदि कार्यों के निष्पादन हेतु प्रबन्ध पी०एफ० एवं प्रबन्धक वित्त एवं लेखा के पदों को आस्थगित करते हुए महाप्रबन्धक का पद सृजित किया गया है।
4. **प्रबन्धक कार्मिक:-** उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन हेतु प्रबन्धक कार्मिक का पद सृजित किया गया है।
5. **प्रबन्धक विक्रय:-** उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० में विक्रय सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु प्रबन्धक विक्रय का पद सृजित किया गया है।
6. **सम्प्रेक्षण अधिकारी:-** उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० में सम्प्रेक्षण अधिकारी का पद सम्प्रेक्षण कार्यों के सम्पादन हेतु सृजित है।
7. **क्रय अधिकारी:-** उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० के क्रय सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु क्रय अधिकारी का पद सृजित है।
8. **विधि अधिकारी:-** उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० में विधि सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु विधि अधिकारी का पद सृजित है।

9. **निजी सचिव एवं निजी सहायक:**— उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० में तैनात अधिकारियों से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु निजी सचिव एवं निजी सहायक का पद सृजित है।
10. **कैशियर कम लागत सहायक:**— उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० में लेखा सम्बन्धी कार्यों के संचालन हेतु कैशियर कम लागत सहायक का पद सृजित है।
11. **सहायक:**— उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० में कार्यों के सम्पादन हेतु सहायक के 07 पद सृजित है।
12. **कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर:**— उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० में कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन हेतु 03 पद सृजित है।
13. **वाहन चालक:**— उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० में वाहन चालक के 04 पद सृजित है।
14. **अनुसेवक:**— उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० में अनुसेवक सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु 04 पद सृजित है।

(आर०के०सेठ)
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शुगर्स

मैनुअल सं०-०३

निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)

1. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ स्तर पर निर्णय लेने हेतु कमेटी ऑफ मैनेजमेंट तथा प्रशासक सक्षम है ।
2. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ में कार्यरत् केन्द्रीयत सेवा के पदों पर नियुक्ति नियमितिकरण, पदोन्नति, निलम्बन, पदच्युति सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए प्रबन्ध निदेशक / प्रशासक सक्षम है।
3. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ में कार्यरत् केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन निर्धारण करने हेतु प्रबन्ध निदेशक सक्षम है।
4. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ में जिन श्रेणी के कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी है, उन श्रेणी के कर्मचारियों के त्यागपत्र स्वीकार करने हेतु प्रबन्ध निदेशक / प्रशासक सक्षम है।
5. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ में जिन श्रेणी के कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी है, उन श्रेणी के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने, दण्ड देने एवं सेवा समाप्त करने हेतु प्रबन्ध निदेशक / प्रशासक सक्षम है।
6. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ में उत्कृष्ट सेवा पर कर्मचारियों / अधिकारियों को पारितोषिक देने हेतु प्रबन्ध निदेशक / प्रशासक सक्षम है।
7. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ के अधीन चीनी मिलों की मरम्मत मशीनरी आइटम की बल्क पर्चेज व मशीनरी खरीदारी, गनी बैग्स, पीपी बैग्स कैमिकल्स आदि के रेट कान्टेक्ट सम्बन्धी निर्णय लेने हेतु प्रबन्ध निदेशक / प्रशासक सक्षम है।

8. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ के अधीन चीनी मिलों में उत्पादित होने वाले शीरा एवं चीनी के विक्रय के लिए निर्णय लेने हेतु प्रबन्ध निदेशक / प्रशासक सक्षम है।
9. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ के अधीन चीनी मिलों में कार्यरत् कर्मचारियों को एक वर्ष में एक माह का अग्रिम वेतन जिसकी अदायगी अधिकतम 3 माह में होगी स्वीकृत करने सम्बन्धी निर्णय लेने हेतु मिल के प्रधान प्रबन्धक / अधिशासी निदेशक सक्षम है।
10. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ के अधीन चीनी मिलों में कार्यरत् कर्मचारियों को यात्रा भत्ता नियमावली के अन्तर्गत अग्रिम स्वीकृत करने हेतु प्रधान प्रबन्धक / अधिशासी निदेशक सक्षम है।
11. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ के अधीन चीनी मिलों में समय समय पर कार्य आवश्यकतानुसार सामान क्रय करने, स्क्रैप विक्रय के लिए प्रबन्ध निदेशक सक्षम है।
12. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ के अधीन चीनी मिलों के विस्तारीकरण सम्बन्धी निर्णय लेने हेतु प्रबन्ध निदेशक / प्रशासक सक्षम है।
13. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ के अधीन चीनी मिलों को सहायता प्रदान करना, मिलों को समय-समय पर गन्ना भुगतान एवं देयकों के भुगतान हेतु आसान किस्तों पर ऋण दिये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक / प्रशासक की संस्तुति के उपरान्त शासन स्तर पर निर्णय लिया जाता है।
14. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ के अधीन चीनी मिलों में प्रदेश व केन्द्र सरकार स्तर पर लम्बित मामलों में प्रबन्ध निदेशक / प्रशासक की संस्तुति के उपरान्त शासन स्तर पर निर्णय लिया जाता है।

15. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ के अधीन चीनी मिलों में चीनी तथा स्पेयर्स आदि के विरुद्ध अधिकृत बैंको से ऋण लिये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक/प्रशासक की संस्तुति के उपरान्त शासन स्तर पर शासकीय गारंटी प्रदान की जाती है।
16. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ के अधीन चीनी मिलों में प्लांट/मशीनरी सलाहकार व सिविल कार्य करने सम्बन्धी अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने हेतु सम्बन्धित मिल के अधिशासी निदेशक /प्रधान प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक तथा प्रशासक सक्षम है।

(आर0के0सेठ)
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शुगर्स

मैनुअल सं०-०४

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू सेवा नियमावली, 1988 एवं पदोन्नति नीति 2013 तथा चीनी मिलों में वेजबोर्ड के अन्तर्गत कार्यरत् कर्मचारियों/अधिकारियों पर श्रम विभाग उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकृत वेतनमान लागू है। उत्तराखण्ड सहकारी संघ अधिनियम 2003 में वर्णित नियमों के अनुसार कृत्यों का निर्वहन किया जाता है।

(आर०के०सेठ)
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शुगर्स

मैनुअल सं० –०५

लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना:-

1. उत्तर प्रदेश सहकारी एवं निगम की सेवानियावली 1988.
2. निगम क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों की पदोन्नति नीति 2012.
3. सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों की पदोन्नति नीति 2013..
4. ग्रेच्युटी एक्ट 1987.
5. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ के अधीन कार्यरत केन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों / अधिकारियों पर लागू छटा वेतनमान।
6. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ के अधीन कार्यरत केन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों / अधिकारियों की वरिष्ठता सूची।
7. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ के अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों / अधिकारियों के मृतक आश्रित को नियोजन देने सम्बन्धी नियमावली।
8. चीनी एवं शीरे के भण्डारण एवं विक्रय की स्थिति।
9. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० द्वारा विभिन्न सामग्रियों के क्रय एवं विक्रय हेतु आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं से सम्बन्धित सूचना।

उत्तराखण्ड शुगर्स

(आर०के०सेठ)

लोक सूचना अधिकारी

मैनुअल सं०-०६

दस्तावेजों जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित था उसके नियंत्रणाधीन है।
प्रवर्गों (CALAGORIEL) के अनुसार विवरण

1. उत्तराखण्ड शुगर्स की उपविधियां (बायलौज) एवं निबन्धन प्रमाण पत्र।
2. उत्तराखण्ड शुगर्स के महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक एवं प्रशासक के अधिकार एवं शक्तियां।
3. केन्द्रीयत सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों पर वर्तमान में भी उ०प्र० सहकारी चीनी मिल्स संध लि० लखनऊ तथा सहकारी चीनी निगम लि० लखनऊ द्वारा प्रख्यापित सेवानियमावलियां यथावत् लागू की गयी है।
4. उत्तराखण्ड शुगर्स के अधीन चीनी मिलों में वेजबोर्ड के अन्तर्गत कार्यरत् कर्मचारियों/अधिकारियों पर श्रम विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्रख्यापित वेतनमान लागू है।
5. कय नियमावली व सेंट्रल कय / विकय समिति।

(आर०के०सेठ)
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शुगर्स

मैनुअल सं०-०७

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके प्रतिनिधि के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना:-

उत्तराखण्ड शुगर्स उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम 2003 के अन्तर्गत निबन्धित सहकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान है। कार्य कलापों के सम्बन्ध में नीतियां बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश संघ के सामान्य निकाय/प्रशासक तथा शासन में निहित है।

गन्ना विकास से सम्बन्धित नीतियां बनाने एवं उनके कार्यान्वयन की कार्यवाही क्षेत्र को गन्ना विकास परिषद तथा गन्ना विकास समितियों के जनता के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर की जाती है।

(आर०के०सेठ)
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शुगर्स

मैनुअल सं०-०८

बोर्डों, परिषदों, समितियों और उन निकायों का विवरण/साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खाली होंगी या बैठको के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी:-

पंजीकृत बायलॉज के अनुसार कमेटी ऑफ मैनेजमेन्ट

1. सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रशासक, पदेन अध्यक्ष।
2. अपर सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रबन्ध निदेशक, पदेन सदस्य।
3. अपर सचिव वित्त।
4. गन्ना आयुक्त उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि।
5. चीनी मिलों के प्रतिनिधियों में से चार निर्वाचित सदस्य।
6. शासन द्वारा नामित एक गैर सरकारी सहकारी क्षेत्र का प्रतिनिधि।

उक्त से स्पष्ट है कि प्रबन्धक मण्डल में चार निर्वाचित सदस्य तथा एक शासन द्वारा सहकारी क्षेत्र के गैर शासकीय नामित सदस्य सम्मिलित हैं। इस प्रकार कार्यवृत्त की जनता तक पहुँच होगी।

(आर०के०सेठ)

लोक सूचना अधिकारी

मैनुअल सं0-09

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशिका

उपस्थिति:-

यह नितान्त आवश्यक है कि अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्य पर समय से उपस्थित हैं। इस समय उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ में प्रबन्ध प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक है, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा समय समय पर अतिरिक्त समय में बैठकर कार्य का निस्तारण किया जाता है। आर्थिक बचत के दृष्टिकोण से महाप्रबन्धक के अतिरिक्त कतिपय कार्मिक अधीनस्थ चीनी मिलों से सम्बद्ध किये गये हैं। कतिपय कार्मिक आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिग के माध्यम से रखे गये हैं तथा सेवानिवृत्त अनुभवी कार्मिकों को भी यथा आवश्यक संविदा पर तैनात कर कार्य का संचालन किया जा रहा है।

डाक की प्राप्ति:-

उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ में विभिन्न स्थानों से प्राप्त होने वाली डाक डिस्पैच अनुभाग के द्वारा प्राप्त की जाती है तथा महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक के द्वारा डाक को मार्क करने के उपरान्त डिस्पैच अनुभाग समस्त डाक को प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज कर सम्बन्धित अनुभागों को वितरित की जाती है।

क्रय प्रबन्धन:-

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ के अधीन चीनी मिलों के सामानों के क्रय हेतु आमंत्रित निविदा एवं क्रय समिति द्वारा लिये गये निर्णय को क्रय से सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार व्यवस्थित किया जाता है।

1. इन्डेन्ट निविदा आमंत्रण से लेकर क्रय आदेश जारी करने तक की समस्त कार्यवाही का विस्तृत उल्लेख अनिवार्य रूप से कार्यवृत्त में अंकित किया जाता है।

2. क्रय समिति द्वारा लिये गये निर्णय/संस्तुतियों के अनुसार ही क्रय आदेश जारी किये जाते हैं।
3. क्रय विभाग द्वारा क्रय आदेश सम्बन्धित पत्रावली में आपूर्तिकर्ता का नाम आपूर्ति की जानी वाली सामग्री का नाम, क्रय आदेश संख्या., आदेश की मात्रा/मूल्य अग्रिम का विवरण/ आपूर्ति की अवधि का विवरण सामग्री वार तथा पार्टी वार रखा जाता है। इस पत्रावली का अवलोकन विभागाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जिसमें क्रय आदेश एवं आपूर्ति की अद्यतन स्थिति की जानकारी के साथ-साथ समयानुसार आवश्यक अनुश्रवण भी किया जा सकें।
4. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ स्तर पर हुए दर संविदा की सूचना सम्बन्धित मिल को उनकी कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।
5. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ द्वारा आवश्यक सामानों के क्रय आदेश/ दर संविदा पूर्ण औचित्य उपयुक्तता एवं आवश्यकता का आकलन करने के पश्चात ही जारी किये जाते हैं, जिससे स्वीकृत बजट के अन्तर्गत ही समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा सकें।
6. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ द्वारा भुगतान महाप्रबन्धक एवं प्रबन्ध निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जाने की व्यवस्था है।
7. आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जमा की गयी सुरक्षा राशि/धरोहर राशि हेतु एक रजिस्टर बनाया जाता है। दर संविदा की शर्तों के अनुसार सामान आने पर बाद में यह धनराशि वापिस की जाती है तथा जिन आपूर्तिकर्ताओं के नाम दर संविदा निर्गत नहीं की जाती है उन्हें धरोहर राशि शीघ्र वापिस कर दी जाती है।
8. अभियन्त्रण एवं शर्करा तकनीक इत्यादि विभागों के द्वारा आवश्यकता का आकलन योजनाबद्ध ढंग से कर इन्डेन्ट का सही निर्धारण किया जाता है जिससे आपात/स्थानीय क्रय की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकें।
9. ऐसी सामग्री जिनकी आपूर्ति क्रय आदेश के विपरीत हुई हो तथा जिनकी गुणवत्ता निम्नस्तरीय हो को प्रयोग में नहीं लाया जाता है, तथा आपूर्तिकर्ता को निरीक्षण अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार अस्वीकृत किये जाने का पूर्ण उल्लेख करते हुए पंजीकृत पत्र से सूचित किया जाता है। किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

10. किसी भी सामग्री की प्राप्ति मौखिक निर्देशानुसार नहीं की जाती है, तथा बिना क्रय आदेश निर्गत किये हुए कोई मिल सामग्री नहीं खरीदती है। किन्हीं अपरिहार्य कारणों या ब्रेकडाउन की स्थिति में मौखिक आदेश देना आवश्यक हो तो सम्बन्धित मिल के प्रधान प्रबन्धक/अधिसासी निदेशक, उत्तराखण्ड शुगर्स के महाप्रबन्धक के माध्यम से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करते हैं, तथा मौखिक आदेश की पुष्टि ई-मेल अथवा पत्र द्वारा अविलम्ब आपूर्तिकर्ता को की जाती है।

स्कैप निस्तारण:-

मिलों में मशीनरी एवं उपकरणों के निरन्तर घिसाव व टूट फूट के कारण निष्प्रयोज्य लौट एवं अलौह धातु का स्कैप एकत्रित होता रहता है। इनके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कन्टेन्स जैसे जैरीकेन्स, ड्रम व निष्प्रयोज्य विद्युत केबिल, आदि भी भारी मात्रा में एकत्रित होते रहते हैं।

उपरोक्त विदित स्कैप को मिलों द्वारा निम्न तीन वर्गों में रखा जाता है:-

1. लौह धातु, स्कैप:- जैसे गाइड स्टील, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, फोर्ज स्टील, बियरिंग टूल आयरन, स्टेनलेस स्टील इत्यादि।
2. अलौह धातु स्कैप:- पुरानी ब्रास ट्यूब, कापर साइनर, कापर ट्यूब, गन मेटल, अल्युमिनियम ट्यूब, निकिल स्कीन आदि।
3. अथ मिस्लेनियम स्कैप:- चीनी के पुराने खाली बोरे, पुराने ड्रम जैरीकेन्स व अन्य विविध सामग्री।

विभिन्न वर्ग के लौह धातु के स्कैप को संग्रहित करने के लिये अलग-अलग रखा जाता है तथा समय-समय पर प्राप्त होने वाली स्कैप सामग्री एवं अद्यतन अनुमानित मात्रा एक रजिस्टर में अंकित की जाती है, तथा अलग-अलग लेखा जोखा रखा जाता है। स्कैप की अनुमानित मात्रा एवं श्रेणी मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित की जाती है।

निस्तारण:-

जब पर्याप्त मात्रा में स्कैप सामग्री संग्रहित हो जाये तब विभिन्न श्रेणी के स्कैप की सुरक्षित मात्रा सम्बन्धित मिल के इस प्रमाण-पत्र के साथ कि उक्त सामग्री अप्रयोज्य है। उसके विक्रय हेतु मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त कम से कम एक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्र में 21 दिन का समय देते हुए नीलामी विज्ञापन प्रकाशित कर नीलामी का आयोजन इस मद में हेतु गठित कमेटी की उपस्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्कैप का निस्तारण अधीनस्थ मिलों द्वारा किया जाता है।

(आर0के0सेठ)
लोक सूचना अधिकारी

मैनुअल सं०-10

अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबन्धित है।

1. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० के अधीन कार्यरत् केन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों को शासन द्वारा स्वीकृत छटां वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है।
2. उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० के अधीन संचालित चीनी मिलों में वेजबोर्ड के अन्तर्गत कार्यरत् कर्मचारियों/अधिकारियों को श्रम विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्रख्यापित वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है।

(आर०के०सेठ)
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शुगर्स

मैनुअल सं०-11

सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० के अधीन संचालित सभी चीनी मिलों हेतु गत वर्ष मदवार व्यय की गयी धनराशि का आंकलन करते हुए आगामी पेराई सत्र को सुचारु रूप से चलाने हेतु मिलों द्वारा मदवार प्रस्तुत बजट पर गठित कमेटी द्वारा आंकलन करने के पश्चात मिलों को मदवार धनराशि व्यय करने की स्वीकृति प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। मिलों द्वारा मदवार स्वीकृत बजट के अनुसार ही धनराशि का आवश्यकतानुसार व्यय किया जाता है।

(आर०के०सेठ)
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शुगर्स

मैनुअल सं०-12

अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों (SUBSIDY PROGRAMME) के क्रियान्वयन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्मलित हैं।

उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ, देहरादून को उक्त से सम्बन्धित किसी प्रकार का बजट/अनुदान शासन स्तर से प्राप्त नहीं होता है।

(आर०के०सेठ)
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शुगर्स

मैनुअल सं०-13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां।

उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि०(उत्तराखण्ड शुगर्स) देहरादून में उक्त प्राविधान लागू नहीं है।

(आर०के०सेठ)
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शुगर्स

मैनुअल सं०-14

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्योरें

उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ, देहरादून में इलैक्ट्रॉनिक रूप में वर्तमान में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, तथा ई-टेन्डरिंग करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

(आर०के०सेठ)
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शुगर्स

मैनुअल सं०-15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण /सभी पुस्तकालय या वाचनालय इत्यादि लेना उपयोग के लिए व्यवस्था की गयी है तो उसका विवरण।

उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ, देहरादून के कार्यालय में पुस्तकालय या वाचनालय की वर्तमान में कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

(आर०के०सेठ)
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शुगर्स

मैनुअल सं०-16

लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियां।

क्रम सं०	सस्था का नाम	लोक सूचनाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० देहरादून	श्री आर०के०सेठ महाप्रबन्धक	श्री चन्द्रेश कुमार प्रबन्ध निदेशक
2	किच्छा शुगर कम्पनी किच्छा , ऊधमसिंहनगर	श्री अजय गुप्ता उप-मुख्य रसायनविद्	श्रीमति रुचि मोहन रयाल अधिशासी निदेशक
3	डोईवाला शुगर कम्पनी, डोईवाला, देहरादून	श्री पी०के० पाण्डे उप-मुख्य रसायनविद्	श्री मनमोहन सिंह रावत अधिशासी निदेशक
4	सहकारी चीनी मिल बाजपुर, ऊधमसिंहनगर	श्री उपेन्द्र शुक्ला उप-मुख्य रसायनविद्	श्री प्रशान्त आर्य प्रधान प्रबन्धक
5	सहकारी चीनी मिल नादेही ऊधमसिंहनगर	श्री वी०एन० शंखवार, उप-मुख्य रसायनविद्	श्री चन्द्र सिंह इमलाल प्रधान प्रबन्धक

उत्तराखण्ड शुगरर्स
(आर०के०सेठ)
लोक सूचना अधिकारी

मैनुअल सं०-17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए

उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं मैनुअल संख्या 1 से 16 में अंकित कर दी गयी है। अन्य कोई सूचना विहित करने के लिए शेष नहीं है।

(आर०के०सेठ)
लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शुगर्स